BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 31 अगस्त 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त देवीराम पुत्र रामचरन निवासी धान मील रोड नई बस्ती थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 अपनी पत्नी की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 01.03.2021 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं–170/2021 धारा 302,201 भादवि पजीकृत किया गया तथा दिनांक 22.05.2021 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 31.08.2024 को न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार सचान (मा0 न्यायालय एडीजे खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त देवीराम को आजीवन कारावास व 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री संजीप कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल, बुलन्दशहर